**भारत सरकार**
**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 4434**
**(दिनांक 19.07.2019 को उत्तर देने के लिए)**

**पत्रकारों का कल्याण**

**4434. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः**

**क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में कार्यरत कर्मियों के कल्याण हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है/उपयोग की गई है; और

(ख) क्या मान्यताप्राप्त रिपोर्टरों को सर्किट हाऊस में ठहरने की सुविधा, पथ कर मुक्त यात्रा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना या प्रस्ताव विचाराधीन है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री**
**(श्री प्रकाश जावड़ेकर)**

**(क):** सूचना और प्रसारण मंत्रालय पत्रकारों/मीडिया कार्मिकों अथवा पत्रकारों की मृत्यु के कारण अत्यधिक कष्ट झेल रहे उनके परिवारों तथा स्थाई विकलांगता, गंभीर सूचीबद्ध बीमारियों के मामले में तथा दुर्घटनाओं, जिनके कारण गंभीर चोट आई हो और अस्पताल में भर्ती किया जाना अनिवार्य हो, के मामले में पत्रकारों को तत्काल आधार पर अनुग्रही राहत राशि मुहैया कराने के लिए 'पत्रकार कल्याण स्कीम' का कार्यान्वयन करता है। गत तीन वर्ष के दौरान आवंटित/उपयोग की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| वर्ष | आबंटित राशि | उपयोग की गई राशि |
|---|---|---|
| 2016-17 | 35,40,000/- | 31,46,613/- रु. |
| 2017-18 | 40,00,000/- | 39,37,966/- रु. |
| 2018-19 | 1,00,00,000/- | 99,99,197/- रु. |

**(ख):** पत्र सूचना कार्यालय के मुख्यालय से मान्यता प्राप्त पत्रकार को इस समय निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:-

(क) भारत सरकार से मान्यता प्राप्त मीडिया कार्मिकों के लिए रेल रियायत जिसे रेल मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।

(ख) मीडिया कार्मिकों के लिए सीजीएचएस सुविधाएं जिन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।

*****